

अध्याय III: एप्लिकेशन की प्रकार्यात्मकता

3. आईसीईएस 1.5 का कम कार्यक्षमता

निम्नलिखित व्यवसायिक आवश्यकताओं के सम्बंध में लागू नियमों/अधिनियमों के अनुसार प्रणाली में विभिन्न व्यवसायिक नियमों को अनुकूल बनाने में कमी पाई गई:

3.1 आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन द्वारा वेयरहाउसिंग ब्याज का गलत गणना

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61(2)(ii) के अनुसार, यदि उप-धारा (1) के उप-खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई वेयरहाउस माल 90 दिनों की अवधि से अधिक वेयरहाउस में रहता है तो वेयरहाउस माल पर बताए गए 90 दिनों की समाप्ति से शुल्क के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज देय होगा।

1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 90 दिनों (बीई-स्टेट्स टेबल से डब्ल्यूबीई-डब्ल्यूएच-डीटी फील्ड और बीई-कैश टेबल से पेमेंट-डीटी फील्ड पर विचार करते हुए) तथा जहां डब्ल्यूएच ब्याज लगाया गया था, से अधिक वेयरहाउस से मंजूरी वाले 6,887 एक्स-बांड बीई में से 6,756 बीई में एक दिन कम के लिए डब्ल्यूएच ब्याज का उद्घग्रहण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.28 लाख तक डब्ल्यूएच ब्याज का कम उद्घग्रहण हुआ। शेष 131 बीई में, डब्ल्यूएच ब्याज का 6 दिनों से कम अधिकतम सीमा में 28 दिनों से भिन्न अवधियों के लिए अधिक या कम उद्घग्रहण किया गया था। जिसके लिए उपलब्ध डाटा से कारणों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह दर्शाता है कि आईसीईएस 1.5 एप्लिकेशन में 'डब्ल्यूएच ब्याज के परिकलन हेतु कार्यक्रम' में त्रुटि है जिसे यदि सुधारा नहीं गया तो इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूएच ब्याज का कम उद्घग्रहण जारी रहेगा।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया (जनवरी 2014) कि:

गोदाम में रखे गए माल पर ब्याज का परिकलन सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 तथा दिनांक 01.10.2013 के सीमाशुल्क परिपत्र के प्रावधानों के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। वर्तमान में, 90 ब्याज मुक्त दिनों के पूर्ण होने के पश्चात् गोदाम में रखे गए माल के लिए गोदाम के ब्याज की गणना आईसीईएस एप्लिकेशन करता है तथा ब्याज आयातक द्वारा 91^{वै} से दिन शुल्क के भुगतान की तिथि तक देय होगा।

सीबीईसी ने पुनः दोहराया कि सामान्य खण्ड अधिनियम के साथ-साथ निपटान किए गए मामले के कानून के अनुसार गोदाम में माल के रहने की अवधि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु प्रथम दिन को छोड़े जाने की आवश्यकता है। सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61(2) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि ब्याज देयता उस माल पर जो गोदाम में 90 दिनों की अवधि से अधिक रहा, के लिए कथित 90 दिनों की समाप्ति से प्रारम्भ होती है। यह सहज रूप से लागू करती है कि यदि 90 दिनों की अवधि का लाभ लेने के पश्चात् 91^{वै} दिन पर शुल्क का भुगतान किया जाता है तो इसमें कोई अन्तर नहीं होता क्योंकि माल गोदाम में निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं रहता है तथा इसलिए यदि माल को 91^{वै} दिन नहीं हटाया जाता है तो ब्याज दायित्व होगा।

सीबीईसी ने आगे बताया कि यह स्पष्ट है कि विभाग के तर्क के अनुार ब्याज की गणना संग्रहित वास्तविक ब्याज से मेल खा रही है। चूंकि लेखापरीक्षा ने राइनिंग ऑफ किए बिना शुल्क राशि से सीधा से बेकर्वड प्रति दिन ब्याज की गणना से सीधा फार्मूला लागू किया है, इसलिए कमी हुई। लेखापरीक्षा द्वारा उल्टी गणना का यह फार्मूला त्रुटिपूर्ण है और गलत परिणाम दर्शाता है।

तथापि, विभाग ने प्रारंभिक रूप से लेखापरीक्षा को आईसीईएस में ब्याज की गणना के लिए अपनाया जाने वाला फार्मूला उपलब्ध नहीं करवाया। एग्जिंट कानूनेस के बाद, लेखापरीक्षा को फार्मूला उपलब्ध कराया गया (फरवरी 2014), जिसका सन्त्यापन अनुवर्ती लेखापरीक्षा में किया जाएगा।

3.2 आयात के लिए आरएसपी घोषण लागू करने के लिए आरएसपी प्रमाणीकरण का अभाव जिससे आरएसपी आधारित निर्धारण किया गया

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4ए की उप-धारा (1) एवं (2) के अनुसार दिनांक 24 दिसम्बर 2008 की एनटी अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार ने कुछ निश्चित माल का उल्लेख किया (जिसके लिए विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 के तहत उसके पैकेट पर 'खुदरा ब्रिकी मूल्य (आरएसपी)' की घोषणा करना आवश्यक है) जिसे घटाव की ऐसी राशि को कम करके घोषित आरएसपी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रभारित किया जाएगा, जैसाकि अधिसूचना के तहत अनुमत किया जा सकता है।

अन्य बातों के साथ साथ धारा 4ए की उप-धारा (4) स्पष्ट करती है कि यदि ऐसे माल को पैकेज पर खुदरा ब्रिकी मूल्य की घोषणा के बिना या ऐसी आरएसपी की घोषणा द्वारा जो कि आरएसपी नहीं है जैसा कि अधिनियम, नियम या अन्य कानून जैसा कि उप धारा में संदर्भित हों के प्रावधानों के तहत घोषित करना आवश्यक हो को हटाया जाता है तो ऐसे माल को जब्त किया जाना दायी हो सकता है और ऐसे माल का खुदरा ब्रिकी मूल्य निर्धारण तरीके से अभिनिश्चित किया जाएगा और ऐसे मूल्य को उस धारा के उद्देश्यों के लिए खुदरा ब्रिकी मूल्य माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सीटीए की धारा 3(2) के परन्तुक के अनुसार आयातित माल, जोकि उनके पैकेज पर आरएसपी की घोषणा के लिए विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अपेक्षित है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4ए (1) के अन्तर्गत आरएसपी अधिनियम के तहत कवर होता है, प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) के उद्ग्रहण के उद्देश्य के लिए मूल्य कथित आरएसपी अधिसूचना के अनुसार स्वीकार्य छूट से कम, आयातित वस्तुओं पर घोषित आरएसपी होगा।

यह पता लगाने के लिए क्या आयातित माल पर आरएसपी आधारित निर्धारण आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग द्वारा सही तरीके से निर्धारण किया जा रहा था, इसलिए 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक एक वर्ष की अवधि के दौरान

दिए गए ओओसी के बीईज् पर आईसीईएस डाटा का विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण के लिए आरएसपी अधिसूचना के 135 क्रम संख्या में से 76 का एक नमूने को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीईटीएच) के साथ मेप किया गया था जिसे इस अधिसूचना के क्रम संख्या के तहत कवर किया जाना अभिप्रेत था।

डाटा के विश्लेषण के परिणाम परिशिष्ट ग में सारबद्ध किए गए हैं।

विश्लेषण से पता लगा कि आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रमाणीकरण नहीं था कि आरएसपी आधारित निर्धारण वाले किसी टैरिफ लाइन के तहत आने वाले आयातित माल को आरएसपी के आयातित माल घोषित करने की अपेक्षा थी।

₹ 44,612.93 करोड़ मूल्य के आयात के 61 प्रतिशत में, ₹ 5,746.40 करोड़ तक की सीधी यथा मूल्य आधार पर उद्ग्रहीत की गई थी। यदि इन आयातों का निर्धारण आरएसपी के तहत किया गया होता तो, अधिक राजस्व उगाही हो सकती थी। इन मामलों में राजस्व की कम वसूली की सही मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि आरएसपी घोषित नहीं की गई थी।

कोलकाता (बंदरगाह) आयुक्तालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि विधिक माप पद्धति (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियमावली 2011 के अध्याय II में नियम 3 के अनुसार, 50 किलो तक के बैगों में बेचे जाने वाले सीमेंट और उर्वरक को छोड़कर 25 क्रि.ग्र. या 25 लीटर से अधिक की मात्रा वाली डिब्बाबंद वस्तुओं और औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए बनी डिब्बाबंद वस्तुओं को अध्याय II के प्रावधानों से छूट दी गई है।

सिफारिश: डीओएस यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातक आर-एसपी को घोषित करे आरएसपी अधिसूचना की क्रम संख्या को टैरिफ लाइन मदों के साथ मेपिंग करने और आवेदन में आवश्यक प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने पर विचार कर सकता है, यदि आरएसपी अधिसूचना के तहत कवर की गई एक टैरिफ लाइन मद के अन्तर्गत कोई आयात होते हैं।

सीईईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में, आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा कि आरएसपी अधिसूचना केवल सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीईटीएच) पर आधारित नहीं है अर्थात् अधिकतर मामलों में विवरण कालम के तहत माल का विवरण भी सुसंगत है। माल विवरण गैर संरचित फील्ड होने के कारण, इसका स्वचालित प्रणाली में प्रमाणीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आरएसपी आधारित शुल्क तभी वसूली योग्य है यदि आयातित माल डिब्बाबंद रूप में है। शुल्क के आरएसपी आधारित वसूली के लिए लागू अन्य शर्त है कि माल बिक्री हेतु ही होना चाहिए। इसलिए, यदि उसी माल को थोक या आन्तरिक खपत, प्रचार, मुफ्त वितरण इत्यादि के लिए आयात किया जाता है, तो उन पर आरएसपी आधारित शुल्क नहीं लगेगा। इसी प्रकार, यदि माल 100 प्रतिशत ईओयू यूनिटों के लिए ईपीसीजी/डीईईसी/अन्य कोई निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत आयात किया जाता है, तो आरएसपी आधारित शुल्क नहीं लगता है। इसके साथ ही, विधिक माप पद्धति अधिनियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए डिब्बाबंद वस्तुओं को शामिल नहीं करता है। इसी प्रकार, 25 कि.ग्रा. या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाली वस्तुओं के पैकेज भी शामिल नहीं हैं। इन सभी कारणों के लिए, एक विश्वसनीय और व्यापक आरएसपी प्रमाणीकरण स्वचालित प्रणाली में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इन सभी तथ्यों का अवधारण निर्धारण के समय पर ही किया जा सकता है।

इसके अलावा, आरएसपी अधिसूचनाओं के अनुसार जहाँ तक संभव हो सीईटीएच से संबंधित प्रमाणीकरण पहले से ही प्रणाली में 1 मार्च 2013 से बना दिए गए हैं। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, यह अचूक प्रमाणीकरण नहीं हो सकते क्योंकि आरएसपी आधारित वसूली उत्पाद, विवरण, पैकेजिंग और बिक्री पर निर्भर होगी। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार अधिसूचनाएं संरचित की गई हैं उसी प्रकार प्रणाली में 100% प्रमाणीकरण नहीं बनाया जा सकता। एक अनुप्रयोग जिस प्रकार प्रोग्राम किया गया है कि तकनीकी व्यवहार्यता की तुलना में उचित अधिकारी की

भूमिका और उत्तदायित्व के बीच एक अन्तर तैयार करने की भी आवश्यकता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि ईपीसीजी और डीईईसी प्रोत्साहन योजनाओं को लाइसेंसों के माध्यम से मानीटर किया जाता है और बड़ी संख्या में प्रमाणीकरण परिणाम निर्धारण करने योग्य मानकों जैसे सीटीएच, मात्रा, यूक्यूसी, मूल्य शुल्क इत्यादि, जैसी आवश्यकता हो, पर बनाए गए हैं। आरएसपी के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया गुणात्मक और तकनीकी रूप में है जो लाइसेंस मानीटरिंग से काफी अलग है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2012-13 की अवधि के दौरान कोलकाता (बंदरगाह) से आयातित ऐसे माल के 4,106 अभिलेखों की आगे लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल में मोटर वाहन के पूर्जे, मेनिक्यूर सेट, फूलदान, लंच बाक्स, कप प्लेट, दर्पण, कांच की सजावट का सामान, डिजिटल सेट टाप बाक्स इत्यादि सम्मिलित थे। इन 3,713 अभिलेखों में, एंड्यूज फील्ड को खाली छोड़ा गया था, जो दर्शाता है कि विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके कि ऐसी मर्दे औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई पैकेजड वस्तुएं थीं और इस प्रकार इन्हें आरएसपी आधारित निर्धारण से छूट प्राप्त थीं।

तथापि, 17 अक्टूबर 2013 को स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तात्मयों (कोलकाता) के साथ हुई एग्जिट कान्फ्रेंस में विभाग लेखापरीक्षा के इस मत से सहमत हुआ कि यदि अन्यथा आरएसपी आधारित निर्धारण वाले माल को लागू कानूनों के किसी खण्ड के तहत छूट दी गई हो, उसे आयातक द्वारा ऐसी घोषणा को रिकार्ड करने के लिए आईसीईएस एप्लीकेशन में आवश्यक अतिरिक्त फील्ड होनी चाहिए।

इसके अलावा, किए गए इस दावे के आधार पर कि 01 मार्च 2013 से आईसीईएस एप्लीकेशन में प्रमाणीकरण प्रांरभ किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 माह के आकड़ों की पुनः जांच की। मार्च 2013 में

इन 565 सीईटीएच के तहत आयातित आरएसपी आधारित निर्धारण वाली 2,80,564 मदों में से पाया गया कि 1,73,006 मदों को आरएसपी आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है जिससे पता चलता है कि दावा किए गए प्रमाणीकरण के प्रांभ के बाद भी अननुपालन की प्रतिशतता में ‘कोई बदलाव’ नहीं था।

3.3 आरएसपी की गलत घोषणा की जाँच के प्रमाणीकरण का अभाव

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सीटीए) की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4ए (1) के तहत आरएसपी अधिसूचना के अन्तर्गत कवर किए गए उस आयातित माल के लिए, सीवीडी के उद्ग्रहण के उद्देश्य के लिए मूल्य, आयातित वस्तु पर कथित आरएसपी अधिसूचना के अनुसार स्वीकार्य कमी को घटा कर घोषित आरएसपी होगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 4ए के स्पष्टीकरण के अनुसार ‘खुदरा बिक्री मूल्य’ का अर्थ है अधिकतम कीमत जिस पर उत्पाद शुल्क योग्य माल को पैकेजड रूप में अन्ततोगत्वा उपभोक्ता को बेचा जा सकता है और इसमें स्थानीय या अन्यथा सभी कर, भाड़ा, परिवहन प्रभार, डीलरों को देय कमिशन, और विज्ञापन, सुपुर्दगी, पैकिंग, अग्रेषण के सभी प्रभार शामिल होते हैं और ऐसी बिक्री के लिए केवल कीमत पर विचार किया जाता है।

अन्य बातों के साथ साथ धारा 4ए की उप-धारा (4) स्पष्ट करती है कि यदि ऐसे माल को पैकेज पर आरएसपी की घोषणा के बिना हटा लिया गया जाता है या ऐसी एक आरएसी की घोषणा करना जो कि खुदरा बिक्री मूल्य नहीं है जैसा कि अधिनियम, नियमों या अन्य कानून जैसा कि उप-धारा में संदर्भित है के प्रावधानों के तहत घोषित करना आवश्यक है, तो ऐसे माल को जब्त करने के लिए दायी होगा और ऐसे माल की आरएसपी का निर्धारित तरीके से निर्धारण किया जाएगा और ऐसी कीमत को उस भाग के उद्देश्य के लिए आरएसपी माना जाएगा।

उपरोक्त संविधियों से, यह पता चलता है कि आयातित वस्तुएं जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4ए (1) के तहत जारी आरएसपी अधिसूचना में निर्दिष्ट हैं, को अनिवार्य रूप से आरएसपी आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और ऐसे माल के लिए सही आरएसपी घोषित की जानी चाहिए अन्यथा उन्हें जब्त किया जाना दायी है और आरएसपी मूल्य का पता निर्धारित तरीके से लगाया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार, घोषित आरएसपी में वहन की गई लागत और आयातित माल के विभिन्न तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, यह आयात लागत अर्थात् निर्धारित मूल्य और आयात शुल्क के कुल से कम नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, विशाखपट्टनम में 25/26 मार्च 2003 को हुई सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन में, यह निर्णय लिया गया था कि जहाँ यह प्रमाण हो कि आरएसपी को जानबूझ कर गलत घोषित किया गया है आरएसपी की अनदेखी करते हुए शुल्क लेन देन मूल्य के आधार पर उद्ग्रहीत किया जा सकता है।

01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान आईसीईएस 1.5 डॉटा के लिए बीईज़ जिन्हें ओओसी दिया गया था विश्लेषण से पता लगा कि 20,970 मामलों में सीवीडी गलत घोषित आरएसपी पर एकत्र किया गया था {अर्थात् जहाँ घोषित आरएसपी आयात लागत (निर्धारणीय मूल्य+शुल्क) से कम थी} इनमें से, 12,071 अभिलेखों में घोषित आरएसी आयातित माल के निर्धारणीय मूल्य से भी कम थी।

गलत घोषित आरएसपी पर एकत्र सीवीडी के कुछ उदाहरण जैसा कि आईसीईएस 1.5 डाटा में देखे गए थे, से पता चलता है कि आयातकों द्वारा किस हद तक गलत आरएसपी घोषित की गई जिसका प्रणाली द्वारा पता नहीं लगाया जा सका (जैसा कि परिशिष्ट घ में सारणीबद्ध है)।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि एसीपी क्लाइंट्स मै. ऐसर इंडिया (प्र.) लि. और मै. लेनोवो (इंडिया) लि. सहित प्रतिष्ठित आयातक घोषित आरएसपी जोकि उनकी आयात लागत से कम थी पर नियमित रूप से बड़ी मात्रा में माल आयात कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप सीवीडी कम निर्धारण हुआ।

चार आयातकों द्वारा इस प्रकार के आयातों का सारांश परिशिष्ट ड. में दिया गया है।

आयातकों द्वारा आरएसपी की गलत घोषणा का आयात लागत के साथ घोषित आरएसपी मूल्य की तुलना की प्रमाणीकरण जांच के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। उपरोक्त या आरएमएस में ऐसा कोई प्रमाणीकरण मौजूद नहीं था जिसके परिणामस्वरूप आरएसपी की गलत घोषणा और राजस्व की परिणामी कम उगाही की गुंजाइश है।

सिफारिश: विभाग संबंधित मामलों का पता लगाने के लिए आईसीईएस एप्लीकेशन और आरएमएस में उपयुक्त प्रमाणीकरण प्रारंभ करने के बारे में विचार कर सकता है। आयात लागत से कम घोषित आरएसपी पर बड़ी मात्रा में माल की निकासी को देखते हुए आरएमएस द्वारा एसीपी ग्राहकों को दी गई सुविधा को भी पुनः जांच की जा सकती है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि आरएसपी अधिसूचना मात्र सीटीएच या सीईटीएच पर आधारित नहीं है किन्तु अन्य कई प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर निर्भर है।

सभी सीटीएच जहाँ आरएसपी आधारित सीवीडी लागू है के प्रति, उस पर प्रभावी सीसीआर पहले से ही स्थापित हैं जो आरएसपी की घोषणा का अनुपालन सुनिश्चित करने और परेषण के सीमा शुल्क से बाहर जाने की अनुमति से पहले उद्ग्रहीत/संग्रहित सीवीडी की सत्यता के ओओसी अधिकारियों को अनुदेश देते हैं। अभी तक, 1455 सीटीएच की आरएसपी आधारित निर्धारण के लिए पहचान की गई है।

इसके अतिरिक्त, संव्यवहार मूल्य आधारित निर्धारण की तुलना में कम आरएसपी आधारित निर्धारण को अनिवार्य रूप से अनुमत करने सीमा शुल्क प्राधिकारियों को संशक्त बनाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लागत से कम मूल्य पर माल बेचना पूर्णतः व्यवसायिक निर्णय हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी उल्लिखित है मुख्य आयुक्तों के सम्मेलन में लिया गया निर्णय था कि जहाँ यह सबूत हो कि आरएसपी जानबूझकर गलत घोषित की गई है तो लेनदेन मूल्य माना जाएगा। ऐसा

साक्ष्य प्रणाली में उपलब्ध नहीं होगा और इसलिए आरएसपी को केवल इस आधार पर कि यह एवी से कम है अस्वीकार करने के लिए कोई वैधीकरण नहीं बनाया जा सकता है। गलत घोषणा स्थापित करने के लिए, मामले की जाँच निर्धारण संरचना द्वारा करने की आवश्यकता है और ऐसी कार्रवाई प्रणाली के अन्दर नहीं की जा सकती।

उपरोक्त के वृष्टिगत, गलत घोषणा का पता लगाने के लिए कोई प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं माना गया। विशिष्ट मामलों के लिए जहां आरएसपी आधारित शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य आधारित शुल्क से कम है, वहाँ संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं को मामले की जाँच के लिए सुसंगत अनुबंध प्रेषित कर दिए गए हैं।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि यह कहना सही नहीं है कि सीबीईसी ने प्रमाणीकरण के वर्तमान स्तर पर प्रणाली और प्रथाओं के अनुरक्षण के लिए गए सुविचारित निर्णय लिया है। यह पहले स्पष्ट किया गया था कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं जिससे वह अनिवार्य रूप से संव्यवहार मूल्य आधारित निर्धारण की तुलना में कम आरएसपी आधारित निर्धारण को अननुमत कर सकें। लागत से कम मूल्य पर माल को बेचना मात्र वाणिज्यिक निर्णय हो सकता है। विशिष्ट मामलों के लिए जहाँ आरएसपी आधारित शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य आधारित शुल्क से कम हो, वहाँ सुसंगत अनुबंध मामले की जाँच के लिए संबंधित क्षेत्रीय फार्मेशनों को प्रेषित कर दिए गए हैं। जोखिम निर्धारण एक सक्रिय प्रक्रिया है और सीबीईसी प्रमाणीकरण के एक विशिष्ट स्तर पर प्रणाली और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता है। जोखिम निर्धारण और कानूनी प्रावधानों के आधार पर जब भी आवश्यकता महसूस की जाए, उपयुक्त अवरोध लगाए जा सकते हैं।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है तो राजस्व की सुरक्षा/रक्षोपाय के लिए सीमा शुल्क कानून को संशोधित करना सीबीईसी की जिम्मेवारी है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए मामलों के कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डीओएस को किए गए अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को 2013-14 की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं

कराए गए थे। इसके अलावा, गलत घोषणा के ऐसे मामलों में राजस्व की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र के बारे में भी उत्तर मौन है। यहाँ तक कि कोलकाता (बंदरगाह) आयुक्तालय लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2013) के मत से सहमत है कि उजागर किए गए अधिकतर मामले आरएमएस द्वारा आगे बढ़ाए जाते थे। उस मामले में जहाँ आरएसपी आधारित सीवी शुल्क यथामूल्य आधार पर सीवी शुल्क से कम पाया गया था वहाँ यह बताया गया था कि आयातकों से दस्तावेज/स्पष्टीकरण मंगाए जा रहे थे और यदि आवश्यक हुआ शुल्क की मांग की जाएगी। इसी प्रकार, कोलकाता (हवाईअड्डा) आयुक्तालय ने बताया (अक्टूबर 2013) कि एक सुधारात्मक उपाए के रूप में, कार्यालय संबंधित को आयात दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए और सही आरएसपी घोषित करने के लिए पत्र जारी कर रहा था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि डीओएस को उपयुक्त रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए जिससे मामले को उठाया जा सके ताकि आईसीईएस में कुछ जाँच होनी चाहिए जिससे जब घोषित आरएसपी निर्धारणीय मूल्य से कम हो तो पता चल सके।

3.4 अनुप्रयोग द्वारा विनियम दरों के बहुविध दर का स्वीकरण

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के अनुसार, सीमा शुल्क के शुल्कों के निर्धारण के लिए माल के मूल्यांकन के बीजक को विदेशी मुद्रा की 'विनियम दर' के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए जैसा कि बीई के प्रस्तुतीकरण की तिथि और सीबीईसी द्वारा अधिसूचित दर लागू हैं। बोर्ड ने दिनांक 21 मई 2012 और 24 मई 2012 की एनटी अधिसूचनाओं द्वारा जापानी येन (जेपीवाई), यूएस डालर (यूएसडी), और हांगकांग डालर (एचकेडी) के लिए विनियम दरों को क्रमशः 22 मई 2012 और 25 मई 2012 से बढ़ा कर संशोधित किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली में परिवर्तन को अद्यतन नहीं गया था जिसके परिणामस्वरूप गलत निर्धारण हुआ और शुल्क का परिणामी कम उद्घग्हण हुआ।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय आईसीईएस आंकड़ों से पाया गया था कि 25 मई 2012 को यूएसडी में दर्ज बीजक वाले 6,709 बीईज् के शुल्क का निर्धारण 1 यूएसडी (₹ 55.95) की संशोधित दर पर किया गया था जबकि

उसी तिथि को दर्ज दूसरे 1,084 बीईज् का निर्धारण 1 यूएसडी (₹ 53.10) के पुराने दर पर किया गया था। इसी प्रकार, 25 मई 2012 को एचकेडी में बीजकों के साथ फाइल की गई बीईज् के मामले में और 22 मई 2012 को जेपीवाई में बीजकों के साथ दर्ज बीईज् के दोनों पुराने और नई दरों के निर्धारण पाए गए थे। यद्यपि, यह विनिमय दर निर्देशिका में जेपीवाई, यूएसडी और एचकेडी विनिमय दरों के विलम्बित अधतन के कारण होने की संभावना है, इस लिए एक विशेष तिथि में दर्ज बीईज् के लिए एकल विनिमय दरों के स्वीकरण को लागू करने में प्रमाणीकरण नियंत्रण की कमी का भी पता चलता है जोकि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 में अनुबद्ध है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि विनिमय दरों को अधतन करने का उत्तरदायित्व आईसीडी पटपड़गंज को दिया गया था और बोर्ड द्वारा सीधे विनिमय दर अधिसूचनाएं आईसीडी पटपड़गंज को भेजी जाती हैं। विनिमय बोर्ड अधिसूचना आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में प्रविष्टि के समय से लागू है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि पहले विनिमय दर अधिसूचना महीने में एक बार जारी की जानी थी। यह प्रथा निर्देशिका प्रबंधन साइट या डीओएस को यथा नोटिस दिए बिना बदल दी गई थी। निर्देशिका प्रबंधन द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति में विलम्ब था जिससे डीओएस को प्रणाली में वर्तमान प्रमाणीकरण को हटाने पर मजबूर होना पड़ा जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि विनिमय दर अधिसूचनाएं आईसीईएस में केवल भविष्य की तिथि से प्रभावी बनायी जा सकती हैं। इसके बजाय सभी स्थानों पर प्रणाली प्रबंधकों के लिए उन बीईज् के लिए प्रभावी विनिमय दर को बदलते हुए तुरन्त उपलब्ध कराई गई जो पहले विद्यमान विनिमय दर के अनुसार निर्धारित की गई थी।

तथापि, ऐसी सभी परिस्थितियों में, सभी स्थलों को संबंधित निर्देशिका प्रबंधक द्वारा पुनः निर्धारण और विभेदक राशि की वसूली के लिए एक परामर्श जारी करने के माध्यम से चेतावनी दी गई थी।

आगे यह सूचित किया जाता है कि जैसा बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया था डीजी (प्रणाली) वर्तमान में एसबीआई के साथ विनिमय दरों के दैनिक अधतन के लिए एक मोड्यूल पर कार्य कर रहे हैं। इससे विनिमय दर अर्धरात्रि से लागू हो जाएगी और मामला अपने आप ही सुलझ जाएगा।

सीबीईसी ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि दैनिक विनिमय दर अद्यतन मैसेज की जांच पूरी हो चुकी है। तथापि, संस्थापना की तिथि का निर्णय भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ तकनीकी मामले को सुलझाने के बाद लिया जाएगा।

सीबीईसी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की। तथापि, बोर्ड के डीजी (सिस्टम्स) को दिए गए निर्देश की प्रति लिपि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है।

3.5 अद्यतन विश्वसनीय निर्देशिका प्रक्रिया का अभाव

आईसीईएस निर्देशिका प्रबंधन प्रयोक्ता नियम पुस्तिका संस्करण 1.0 के अनुसार, डीओएस एक केन्द्रीकृत निर्देशिका अद्यतन प्रक्रिया का अनुसरण करता है। आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग की कई महत्वपूर्ण निर्देशिकाओं के अद्यतन का कार्य विभिन्न सीमाशुल्क साइटों को दिया गया है। उच्चतम स्तर पर राष्ट्रीय प्रणाली प्रबंधक (एनएसएम) निर्देशिकाएं विभिन्न साइटों को देता है जो इन निर्देशिकाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। प्रत्येक साइट पर प्रणाली प्रबंधक उपयोगकर्ता को उनकी साइट को दी गई निर्देशिकाओं को परिचालित करने के लिए निर्देशिका अधिकारी (डीआईआरओएफएफ) और निर्देशिका प्रबंधक (डीआईआरएमजीआर) की भूमिका अदा करता है। डीआईआरओएफएफ के पास भूमिका के लिए सौंपी गई निर्देशिकाओं में नई प्रविष्टियां इन प्रविष्टियों में सुधार, जांच सूची बनाने और डीआईआरएमजीआर को इन प्रविष्टियों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार है। डीआईआरएमजीआर को इन प्रविष्टियों का अनुमोदन और उसे बाहरी प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने, गलत प्रविष्टियों के मामले में डीआईआरओएफएफ की प्रविष्टियां वापिस करने और यदि आवश्यकता हो तो प्रविष्टियों को संशोधित करने का विशेषाधिकार है।

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर और अधिसूचना निर्देशिकाओं को अद्यतन करने में विफलता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना निर्देशिकाओं का अद्यतन कार्य जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस (जेएनसीएच) नावा शेवा को सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जब वित अधिनियम

2012-13 पारित किया गया और दिनांक 28 मई 2012 को भारत के राजपत्र द्वारा अधिसूचना सं.25 द्वारा अधिसूचित किया गया था इन निर्देशिकाओं का अद्यतन नहीं किया गया था। चूंकि बाकी के वि.व. 2013 तक चलती रही जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अनुसूची में किए गए कई संशोधनों जिनमें शुल्क दरों में बदलाव सम्मिलित थे को प्रणाली में समाविष्ट नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष भर माल जैसे 'सिगरेट' (अध्याय 24) और रेलवे वैगनों, इंजनों के पुर्जो इत्यादि (सीईटीएच 8607, 8608 और 8609) पर सीवीडी का कम उद्घरण जारी रहा।

28 मई 2013 से 12 प्रतिशत की लागू उच्चतर दर के बजाय 6 प्रतिशत की सीवीडी दर लगाने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर 1,696 बीईज़ द्वारा अध्याय 86 के तहत आयातों पर कम उगाही का प्रभाव ₹ 97.55 करोड़ की राशि निहित थी, जैसाकि आईसीईएस 1.5 डाटा से पता चला।

इसी प्रकार, विभिन्न प्रकार/लम्बाई की सिगरेट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरों को 28 मई 2013 से संशोधित किया गया था। आईसीईएस डाटा से यह पाया गया कि 468 अभिलेखों में शुल्क निर्धारण गलत था जिनमें से 401 अभिलेखों में ₹ 5.14 करोड़ की सीमा शुल्क राशि का कम निर्धारण हुआ था और 67 अभिलेखों में ₹ 0.22 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ था। सिगरेटों पर शुल्क विशिष्ट दर में परिवर्तन को परिशिष्ट एफ में सारणीबद्ध किया गया है।

चूंकि अनियमितता को सितम्बर 2012 से मार्च 2013 के बीच आईसीडी, तुगलकाबाद और कोलकाता (बंदरगाह) के ध्यान में लाया गया था, डीओएस ने विभिन्न सीमाशुल्क क्षेत्रीय फार्मेशनों को सौंपी गई निर्देशिका अद्यतन या निर्देशिका अद्यतन के प्रतिस्त्यापन की केन्द्रीकृत निगरानी के लिए कोई प्रणाली संस्थापित नहीं की थी।

(ii) सीमा शुल्क छूट अधिसूचना और शुल्क दर निर्देशिकाओं को अद्यतन करने में विलम्ब

सीमाशुल्क और सीमाशुल्क अधिसूचना निर्देशिकाओं की दरों को अद्यतन करने का कार्य चेन्नई समुद्री शुल्क को प्रत्यायोजित किया गया है। दिनांक 17 मार्च

2012 की सीमाशुल्क छूट को कच्चे तेल के आयात वाले कतिपय माल के संबंध में बीसीडी दर को 'शून्य' से 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए दिनांक 23 जनवरी 2013 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि चेन्नई समुद्री सीमाशुल्क के अन्तर्गत 23 एवं 24 जनवरी 2013 को किए गए क्रमशः 'कच्चे सूरजमुखी तेल' और क्रूड पाम करनेल तेल' के आयातों के 15 दृष्टांतों में निर्धारण दिनांक 17 मार्च 2012 की छूट अधिसूचना द्वारा बीसीडी की शून्य दर पर किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.29 करोड़ के शुल्क का कम संग्रहण हुआ। गलत छूट का कारण सीमा शुल्क छूट अधिसूचना के अद्यतन में विलम्ब था।

(iii) एसएडी छूट अधिसूचना के अद्यतन में विफलता

08 अप्रैल 2011 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2011 के अनुसार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सभी माल को कथित अधिनियम के दायरे से हटा दिया गया था। फलस्वरूप, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट माल जिसे दिनांक 01 मार्च 2006 की अधिसूचना की क्रम सं.50 के तहत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के 4 प्रतिशत उगाही से छूट थी दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना की शर्तों में शुल्क का दायी हो गया।

यह देखा गया कि चेन्नई समुद्र, वायु और तूंतीकोरीन आयुक्तालयों में दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना की क्रम सं. 50 के तहत एसएडी से गलत छूट कई दृष्टांतों में अनुमत की गई थी यद्यपि माल दिनांक 1 मार्च 2006 की अन्य अधिसूचना की शर्तों में एसएडी का दायी हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.33 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ जिसमें से ₹ 0.98 करोड़ की वूसली जुलाई 2013 तक हुई थी (2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 14 का पैराग्राफ सं. 4.3)। इसी प्रकार कोच्ची समुद्री सीमा शुल्क में 49 दृष्टांतों में गलत छूट देने के परिणामस्वरूप ₹ 0.89 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ (2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 14 का पैराग्राफ सं. 1.75(4))। इसी प्रकार का मामला नवम्बर 2012 में कोच्ची में लेखापरीक्षा में फिर पाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.51 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

8 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 तक कोलकाता बंदरगाह और एयरपोर्ट आयुक्तालयों से संबंधित ईडीआई लेनदेन डाटा की संवीक्षा से पता चला कि 1,034 और 9154 एसएडी मामलों में उगाही नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप संबंधित आयुक्तालयों में ₹ 46.59 करोड़ और ₹ 29.26 करोड़ की एसएडी राशि का कम उद्ग्रहण हुआ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि:

लेखापरीक्षा दल ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर, सीमाशुल्क छूट अधिसूचना और शुल्क दर निर्देशिकाओं का और एसएडी अधिसूचना के अद्यतन न करने के बारे में बताया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

इस संबंध में निदेशालय की भूमिका स्वचालन के पहलू और निर्देशिकाओं के अद्यतन के लिए मंच प्रदान करने तक सीमित है। निर्देशिकाओं को समय पर अद्यतन करने सहित कन्टेट प्रबंधन का उत्तरदायित्व विशिष्ट क्षेत्र फोर्मशन से है जिसकी भूमिका बोर्ड द्वारा सौंपी गई है। डीजी प्रणाली नई दिल्ली में सीमित स्टाफ कार्यचालन को ध्यान में रखते हुए, निर्देशिकाओं की केन्द्रीकृत मानीटरिंग संभव नहीं है। इस लिए निर्देशिकाओं की अधिसूचना का अद्यतन कार्य चेन्नई सीमा शुल्क हाउस को सौंपा गया है और सीटीएच और सीईटीएच टैरिफ निर्देशिकाओं का अद्यतन करना जेएनपीटी, मुम्बई की जिम्मेवारी है। निर्देशिका प्रविष्टि में ही मेकर-चैकर प्रक्रिया है जिससे प्रणाली में स्वयम् ही प्रविष्टि से पूर्व गलत प्रविष्टियों का पता लग सकें।

यह सूचित किया गया कि विभिन्न निर्देशिका प्रबंधन साइटों द्वारा निर्देशिकाओं के केन्द्रीय अद्यतन के लिए सुविधा प्रदान करते हुए अद्यतन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया और इसलिए अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान विलम्ब के कारण किसी देरी का ध्यान रखा गया। तथापि, निर्देशिका प्रबंधकों को अधिसूचना जारी करने की सूचना में विलम्ब बना रहा, जिसे निर्देशिका अद्यतन करने से संबंधित सुविधा का प्रति सत्यापन प्रारंभ करते हुए भी हल नहीं किया जा सका।

मंत्रालय के लिए सीधा आईसीएस पर अधिसूचना अद्यतन करने का कार्य करना संभव नहीं है क्योंकि मंत्रालय के अधिकारियों की आईसीईएस तक पहुँच

नहीं है। अधिसूचना डीजी प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों को इमेल द्वारा भेजी जाती हैं। वर्तमान में जारी करने वाले विंग को फीडबैक देने की कोई प्रणाली नहीं है। अधिसूचनाएं अद्यतन करने वाली संबंधित फारमेशनों को वापसी मेल द्वारा अधिसूचना के सफल अद्यतन की पुष्टि करने के अनुदेश दिए जा रहे हैं। यदि उचित समय में अद्यतन की पुष्टि प्राप्ति नहीं होती है तो अद्यतन के लिए उपयुक्त उचित कार्रवाई की जा सकती है।

लेखापरीक्षा द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट मामलों के संबंध में, मामला संबंधित क्षेत्रीय फारमेशनों को जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। तथापि, इनमें से कुछ मामलों में उदाहरण के लिए सिगरेटों पर शुल्क की विशिष्ट दर और कतिपय अध्याय 86 माल पर सीबीडी के उद्ग्रहण के बारे में विभाग को पहले ही पता था और विभाग द्वारा शुल्क की कम उगाही की वसूली के लिए सीमाशुल्क क्षेत्रीय फार्मेशनों के माध्यम से उचित सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। सभी प्रणाली प्रबंधकों को उपरोक्त मामले के बारे में सूचना दी गई थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में जनवरी 2014 के उत्तर की पुनरावृत्ति की और बताया कि वसूली के संबंध में व्यौरे सीबीईसी में कस-पीएसी विंग द्वारा यथा समय उपलब्ध कराए जाएंगे।

विभाग ने निर्देशिका अद्यतन प्रक्रिया में कमियों को स्वीकार किया। निर्देशिका अद्यतन करना राजस्व की सही और समय पर उगाही के लिए सीबीईसी का मूलभूत कार्यकलाप है। यह राजस्व सूचना प्रणाली की सत्यनिष्ठा का सूचक है इसे राजस्व रिसाव को सुनिश्चित करने के लिए आईसीईएस में समन्वित एवं लिंक किया जाना है।

3.6 एकमात्र आईईसी/ पेन की घोषणा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण का अभाव

एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 2.9, एफटीपी के अनुसार केवल एक आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एकल पेन नम्बर के प्रति जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्व-निर्धारण 2011 पर सीबीईसी की नियम-पुस्तिका के अध्याय 2 के अनुसार आईईसी डीजीएफटी के डाटाबेस के साथ आईसीईएस में ऑन-

लाईन प्रमाणित है और पेन सीबीडीटी के डाटाबेस के साथ ॲनलाईन प्रमाणित है।

तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए अखिल भारतीय आईसीईएस 1.5 डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 33 पेन नम्बरों के प्रति आयातों के अभिलेख हैं जिनके लिए एक से अधिक एकल आईईसी नम्बर उद्धृत किए गए हैं। इसके विपरीत, यहां 251 आयातों के अभिलेख हैं जहां एक से अधिक पेन नम्बर एक आईईसी के प्रति उद्धृत किए गए हैं। यहां 13 ऐसे आयात भी हैं जहां कोई पेन संख्या नहीं दी गई है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि डीजीएफटी आईईसी डाटा का मालिक है और इसकी यथार्थता और वैधता की जिम्मेदारी उसी पर है। इसी प्रकार, पेन डाटाबेस का स्वामीत्व और इसका रखरखाव सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी वैय संख्या है, केवल डीजीएफटी/सीबीडीटी डाटाबेस ॲन लाईन के साथ सीमा शुल्क दस्तावेज में आयातक/निर्यातक द्वारा उद्धृत आईईसी संख्या/पेन की मौजूदगी को प्रमाणित करता है, जैसाकि स्व-निर्धारण, पर सीबीईसी की नियम पुस्तिका में अधिदेशित है जिसमें प्रावधान किया जाता है कि:

“बी/ई या एस/बी में प्रविष्टि के लिए आईईसी “डीजीएफटी के डाटाबेस सहित आईसीईएस में ॲन लाईन वैधीकृत है” और “डीजीएफटी बैंक आदि के लिए पेन सीबीडीटी डाटाबेस सहित आईसीईएस में ॲन लाईन वैधीकृत है।”

जब लेखापरीक्षा ने बताया था कि डाटा प्रमाणीकरण प्रयोक्ता विभाग (इस मामले में सीबीईसी) द्वारा की गई पहल से हो सकता है, विशेष रूप से तब यदि सूचना राजस्व रक्षोपाय के विभागीय उद्देश्यों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करती हों। इलैक्ट्रोनिक सूचना परिवेश के वर्तमान परिवृश्य में विभिन्न पण्धारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डाटाबेस सभी संबंधितों के लिए सही और एक समान होने अपेक्षित हैं।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आपत्ति को उनकी ओर से सुधार के लिए डीजीएफटी को भेजा जाएगा।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जाएं।

3.7 समान सीटीएच और सीईटीएच की घोषणा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण का अभाव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का 5) के माध्यम से 28 फरवरी 2005 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अनुसूची के तहत् माल का वर्गीकरण 8 अंक वाले आईटीसी एचएस वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार सीमा शुल्क टेरिफ अनुसूची के समान था। इस प्रकार, सीटीएच और सीईटीएच सभी माल के लिए एक समान हैं, उनको छोड़कर जो सीमा शुल्क टेरिफ अनुसूची के अध्याय 97 और 98 के तहत् वर्गीकरण योग्य हैं जिनके लिए तदनुरूपी अध्याय 97 और 98 केंद्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अनुसूची में मौजूद नहीं हैं।

तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा से पता चला कि सीमा शुल्क टेरिफ के अध्याय 1 से 96 के तहत् आयातों से संबंधित 2,63,40, 427 अभिलेखों में से 4,81,864 अभिलेख ऐसे थे जिनमें सीटीएच और सीईटीएच मेल नहीं खाते थे। यह दर्शाता है कि आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में आयातों के लिए समान सीटीएच/सीईटीएच की घोषणा को सुनिश्चित करने के लिए कोई इनपुट नियंत्रण/ प्रमाणीकरण नहीं है। इससे गलत निर्धारण और सीमा शुल्क का कम/अधिक उदग्रहण हो सकता है। एक दृष्टांत के रूप में, आईसीडी पटपड़गंज से संबंधित बीई सं. 7948637, दिनांक 14 सितंबर 2012 के मामले में आयातित मद 'स्पोट्स शूज' जिसके लिए सीटीएच को 6403 1990 के रूप में सही रूप से घोषित किया गया था लेकिन सीईटीएच की 3924 9090 के रूप में गलता घोषणा की गई थी। गलत सीईटीएच की घोषणा करते हुए आयातक ने आरएसपी आधारित निर्धारण अधिसूचना सं. 49/2008 सीई (एनटी) दिनांक 24 दिसंबर 2008 के 35 प्रतिशत (क्रम सं. 56) की स्वीकार्य छूट के प्रति अपनी घोषित आरएसपी पर 40 प्रतिशत (क्रम सं. 53) की उच्चतर छूट को प्राप्त किया था।

ऐसे प्रमाणीकरण के अभाव को 2009-10 निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 24 के पैराग्राफ 3.14.1 में पहले ही बताया गया था, जब मंत्रालय ने स्वीकार

किया था कि सीटीएच और सीईटीएच के बीच प्रमाणीकरण आईसीईएस 1.0 में नहीं किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि आवश्यक प्रमाणीकरण को आईसीईएस 1.5 में भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

3.8 सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 98 के तहत् आयातित माल की घोषणा को तदनुरूपी सीईटीएच के साथ सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण का अभाव।

बीसीडी और सीवीडी के उद्ग्रहण के उद्देश्य हेतु, आयातित माल को क्रमशः सीटीएच और सीईटीएच के तहत् वर्गीकृत किया गया था। परियोजना आयातों के संबंध में, माल को बीसीडी उद्ग्रहण के उद्देश्य हेतु अध्याय 98 के तहत् वर्गीकृत किया जाना है। तथापि, जैसाकि यहां कोई तदनुरूपी सीईटीएच नहीं है, ऐसे माल को सीपीडी उद्ग्रहण के उद्देश्य हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय 1 से 96 के तहत् वर्गीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली सीटीएच पर आधारित विभिन्न रिपोर्टों का सृजन कर सकी और सीईटीएच पर नहीं। उदाहरणार्थ, उन बीईज़ की सूची का पता लगाने के लिए जहां सीईटीएच 8607,8608 और 8609 के तहत् आने वाले माल को कम सीवीडी प्रभारित करते हुए 28 मई 2012 से मार्च 2013 तक आयातित किया गया था जैसाकि उपरोक्त पैराग्राफ 3.7 में बताया गया है, लेखापरीक्षा ने संबंधित सीटीएच देते हुए ऐसे सभी आयातों की सूची बनाने का प्रयास किया क्योंकि प्रणाली ने सीईटीएच को स्वीकार नहीं किया है। देखा गया कि प्रविष्टियों के पांच बिल, जहां मद्दे सीईटीएच 8607 के तहत् आती हैं को सीटीएच 9801 के तहत् आयातित किया गया था, को सीटीएच वार रिपोर्ट के लिए बनाई जा रही रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सीईटीएच पर आधारित रिपोर्ट बनाने की भी सुविधा होनी चाहिए।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि 250 से अधिक एमआईएस रिपोर्टों, नई एमआईएस रिपोर्टों और एमआईएस रिपोर्टों को विभिन्न क्षेत्रीय फार्मेशनों से भेजे गए निवेदनों पर उचित विचार करने के पश्चात् आईसीईएस 1.5 में उपलब्ध कराया गया है। सीईटीएच आधारित

रिपोर्ट के लिए निवेदन डीओएस द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं। लेखापरीक्षा के वर्तमान अनुरोध पर विचार हेतु जांच की जाएंगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि जब डाटा/सूचना प्रणाली में उपलब्ध है तो डाटाबेस को विभिन्न पण्धारियों द्वारा उपयोग किए जाने की आवश्यता है।

सिफारिश: सही निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए, समान सीईटीएच/सीटीएच की घोषणा के लिए प्रमाणीकरण जांच को सीमाशुल्क और तदनुरूपी केंद्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अनुसूचियों के अध्याय 1 से 98 के तहत् वर्गीकरणीय सभी माल हेतु आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में उपलब्ध कराया जाए।

2009-10 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 24 में लेखापरीक्षा की समान सिफारिश में मंत्रालय ने स्वीकार किया कि सीटीएच और सीईटीएच के बीच प्रमाणीकरण आईसीईएस 1.0 में नहीं किया गया था। तथापि यह देखा गया कि या तो आईसीईएस 1.5 में भी आवश्यक प्रमाणीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया है।

सिफारिश को स्वीकार करते समय सीबीईसी ने बताया (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) कि समान सीटीएच और सीईटीएच की घोषणा को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण को अभी बनाया जाना है। जब भी प्रणाली में परिवर्तन किए जाएंगे तब व्यापार प्रक्रिया ढांचा और सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा।

यद्यपि सीबीईसी ने 2009-10 में बताई गई समान आपत्ति को स्वीकार किया था तथापि इन्हे सीवीडी से उच्चतर कटौती/छूट को प्राप्त करने के लिए सीईटीएच की गलत घोषणा करने हेतु आयातकों के लिए अवसर को छोड़ते हुए अभी प्रमाणीकरण में शामिल किया जाना है।

3.9 विभिन्न आईसीईएस तालिकाओं में उद्गम देश डाटा का बेमेल होना
विभिन्न आईसीईएस तालिका में उद्गम देश डाटा के बेमेल होने के कारण एंटी-डम्पिंग शुल्क के अनुदग्धण के जोखिम को पहले 2009-10 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 24 के पैराग्राफ 3.11.4 में बताया गया था। तत्कालीन

मंत्रालय ने बताया था (दिसम्बर 2008) कि प्रणाली को दो स्थानों पर ‘उदगम देश’ को केप्चर करते हुए और एन्टी डम्पिंग शुल्क के उद्ग्रहण के लिए ‘मद’ स्तर पर मूल्य का उपयोग करते हुए उचित रूप से डिजाईन किया गया है और यह कि तत्कालीन लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया कोई कम उदग्रहण निर्धारण चूक के कारण हो सकता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 32,83,674 बीईज् प्रदत्त ओओसी पर आईसीईएस 1.5 डाटा के विश्लेषण से पता चला कि बीई-मेन तालिका में फील्ड नाम ‘सीओआरजी’ के साथ-साथ बीई-आइटम-डीईटी में फील्ड नाम ‘सीआरजी’ के तहत आने वाले सीओओ डाटा 2,50,325 मामलों अर्थात बीईज् का 7.6 प्रतिशत में भिन्न हैं। यह उन अनुप्रयोग में प्रमाणीकरण की कमी को दर्शाता है जहां अलग तालिकाओं में समान डाटा केप्चर करने के लिए डाटा फील्ड में भिन्न डाटा उपलब्ध हैं जिसके कारण विभिन्न सीओओ आधारित छूट अधिसूचनाओं या एन्टी-डम्पिंग शुल्क के अनुद्ग्रहण के तहत रियायतों की गलत प्राप्ति का अवसर मिला।

वर्तमान तारीख पर लगभग 25 सीओओ/आधारित छूट अधिसूचनाएं लागू हैं जिनमें से बीसीडी से आंशिक या पूर्ण छूट की अनुमति देते हुए 11 एकल देश विशेष अधिसूचनाओं के तहत आयातों की अनुप्रयोग में ‘उदगत देश’ प्रमाणीकरण के अभाव के कारण इन छूटों की प्राप्ति को रोकने हेतु जाँच की गई थी। यह देखा गया कि 13,413 अभिलेखों में ‘मद’ स्तर पर घोषित सीओओ, जैसाकि बीई-आइटम-डीईटी तालिका में ‘सीआरजी’ फील्ड में दर्ज है, देश कोड से अलग था जिसके लिए अधिसूचना वैध थी जिसके परिणामस्वरूप इन मामलों में बीसीडी से ₹ 125.53 करोड़ की छूट की गलत अनुमत हुई। इस प्रकार, मंत्रालय के इस दावे के बावजूद कि प्रणाली दो स्थानों पर ‘उदगम देश’ को केप्चर करते हुए और ‘मद’ स्तर पर मूल्य का उपयोग करते हुए उचित रूप से डिजाईन की गई, फिर भी आईसीईएस अनुप्रयोग में सीओओ डाटा के लिए प्रमाणीकरण के अभाव के कारण राजस्व की हानि जारी है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया जनवरी 2014) कि सीओआरजी बीई स्तर पर उदगम देश है और सीआरजी मद स्तर पर उदगम देश है। जब समग्र या

अधिकतम माल का समान उदगम देश है तब सीओआरजी फील्ड की घोषणा की जाती है। बीई की केवल उन मर्दों के लिए, जहां उदगम देश सीओआरजी से भिन्न है, वहां उन मर्दों के लिए सीआरजी की घोषणा की जाती है। बीई की मर्दों के लिए उदगम देश के ध्यान हेतु तर्क तदनुसार सन्निहित हैं। यह आपत्ति गलत है कि समान डाटा को दोनों फील्ड में केप्चर किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों फील्ड भिन्न डाटा से संबंधित हैं। उदाहरणार्थ, एक बीई में वह माल हो सकते हैं जिनकी उदगम विभिन्न देशों में हुई है। इस प्रकार, दुबई से आने वाले प्रेषण में चीन, ताईवान, कोरिया में निर्मित माल भी हो सकते हैं। यह प्रमाणीकरण की कमी को नहीं दर्शाता और न ही इसके कारण सीओओ आधारित अधिसूचनाओं की गलत प्राप्ति के लिए अवसर मिलता है। बल्कि, यह समस्त बीई की अपेक्षा विशिष्ट मर्दों पर सीओओ आधारित रियायतों को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ एडीडी के उद्ग्रहण को सरल बनाता है।

आगे सूचना दी गई है कि मार्च 2013 से पहले देश कोड और अधिमान्य टैरिफ-अधिसूचनाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंधों को ऐसे संबंधों के लिए निर्देशिका में सुविधा के अभाव के कारण प्रणाली में सन्निहित नहीं किया गया था। प्रणाली केवल एन्टी डम्पिंग अधिसूचनाओं के लिए उदगम देश के केप्चर और प्रविष्टि बिल की सुसंगत मद के प्रति उपलब्ध कराए गए सीओओ के साथ उक्त के प्रमाणीकरण को सरल बना रही थी। चूंकि 1 मार्च 2013 से ऐसे लिंकेज सभी उदगम देश आधारित अधिसूचनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किया गया डाटा इन प्रमाणीकरणों से पहले की अवधि से संबंधित है जो इसमें सन्निहित था। तथापि, अनुबंध को अधिसूचना, यदि कोई है, की गलत प्राप्ति से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित सीमा शुल्क क्षेत्रीय फार्मेशनों को भेजा गया है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मार्च 2013 माह के लिए डाटा की सीओओ आधारित छूटों के साथ सीओओ के प्रमाणीकरण की जांच के लिए लेखापरीक्षा द्वारा दोबारा जांच की गई है और यह पाया गया कि सभी 11 सीओओ आधारित छूट अधिसूचनाओं के लिए प्रमाणीकरण सीओआरजी/सीआरजी डाटा के संबंध में शुरू किया गया था।

तथापि, बीई-मेन और बीई-आइटम तालिकाओं में क्रमशः सीओआरजी और सीआरजी फील्डों में एकल बीजक-एकल मद आयातों में मामलें में सीओओ पर समान डाटा उपलब्ध हैं, जहां तार्किक रूप से दोनों फील्डों में समान डाटा उपलब्ध होना चाहिए कि पुष्टि करने के लिए किए गए नए विश्लेषण से पता चला कि अकेले मार्च 2013 माह में 5,398 एकल मद निर्यात किए गए थे जिनमें सीओआरजी और सीआरजी डाटा भिन्न थे। इस प्रकार, ऐसे मामलों में स्पष्ट तथा कोई प्रमाणीकरण नहीं है जहां दोनों डाटा समान होने चाहिए। वि.व. 13-14 की अधिक के लिए सीमा शुल्क डाटा और न ही कोई नमूना डाटा आवश्यक सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था।

3.10 एडीडी के उद्ग्रहण हेतु आईसीईएस में माल के निर्माता के ब्यौरे केप्चर नहीं किए गए

एंटी डम्पिंग शुल्क (एडीडी) सीमा शुल्क वर्गीकरण, माल के विवरण, उदगम देश, निर्यातक देश, निर्माता का नाम और निर्यातक का नाम जैसे घटकों पर आधारित कतिपय आयातित माल पर उद्ग्रहण योग्य है। उद्ग्रहण की जाने वाली राशि उपरोक्त घटकों के एक या अधिक पर निर्भर करती है। यह देखा गया कि मास्टर, बीजक, गैट घोषणाओं आदि जैसे आईसीईएस अनुप्रयोग में बीई डिस्प्ले स्क्रीन में निर्माता का नाम दर्शाने वाला कोई फील्ड नहीं है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा में यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि सही एडीडी का उद्ग्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ, दिनांक 11 मार्च 2008 की अधिसूचना के अनुसार चीनी ताइपे के रूप में उदगम देश और निर्यातक देश के साथ सीटीएच 2914 11 00 के तहत आने वाली 'एसीटोन' पर एडीडी, यदि निर्माता मै. फोरमोसा केमिकल्स एंड फाइबर कॉरपोरेशन है यूएसडी 89.42 प्रति यूनिट हैं और निर्माता मै. ताईवान प्रोस्पेरिटी केमिकल्स लि. के लिए एडीडी यूएसडी 87.14 प्रति एमटी की दर पर उद्ग्रहण की जानी है। चूंकि, निर्माता का नाम दर्शाने वाला कोई फील्ड नहीं है तब उद्ग्रहणीय एडीडी की सही दर का निर्धारण के समय और लेखापरीक्षा के दौरान पता नहीं लगाया जा सकता।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) कि ईडीआई बीई प्रारूप आयात दस्तावेजों की इलेक्ट्रोनिक फाईलिंग के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है। प्रारूप को आवश्यकताओं के अनुसार पिछले कुछ दशकों में विकसित किया गया है। बीई प्रारूप में अलग फील्ड आरम्भ करते हुए आयातक/आपूर्तिकर्ता/विनिर्माता के प्रत्येक विवरण का केप्चर करना सम्भव नहीं है। एडीडी का उद्ग्रहण आयातक द्वारा घोषित एंटी डम्पिंग अधिसूचना की क्रम सं. पर निर्भर है। एंटी डम्पिंग अधिसूचनाएं माल के विवरण, निर्यातक देश, निर्माता का नाम, निर्यातक का नाम आदि जिनमें से कोई भी संरचित फील्ड नहीं है, जैसी किसी भी प्रकार की शर्तों को निर्धारित कर सकता है। इसलिए, स्वतः निर्णय लेने के लिए ऐसे क्षेत्रों में स्वचालन सम्भव नहीं है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली सीटीएचज़, जहां एंटी डंपिंग उद्ग्रहीत किया जा रहा है, पर आधारित बीई में सीसीआर को पोपुलेट करती है। ऐसी बीईज़ शेड जांच के माध्यम से की जाती है जहां आवश्यक जांच सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मैनुअली की जाती है। इस निदेशालय ने पहले ही बोर्ड के साथ अधिसूचनाओं के स्वचालन को अनुकूल बनाने के मामले पर चर्चा की है।

यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि अधिक डाटा कैप्चर किया जाता है तो ट्रेड/एजेंट के लिए अधिक अपरिहार्य कार्य से अलग अधिक संग्रहण स्थान की आवश्यकता होगी। यह प्रणाली पर अनावश्यक भार डालेगा। लेखापरीक्षा दल द्वारा बताया गया उदाहरण मामलों के बहुत कम प्रतिशत में लागू है। इसलिए यह प्रारूप स्तर पर अनुप्रयोग में बदलावों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।

सीबीईसी ने 'निर्माता का नाम' के फील्ड के बिना सही दर पर एडीडी के उद्ग्रहण की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए आईसीईएस में उपलब्ध तंत्र को स्पष्ट नहीं किया क्योंकि एडीडी अधिसूचनाएं कई मामलों में निर्माता विशिष्ट हैं।

3.11 सीमा शुल्क छूट अधिसूचना के साथ टेरिफ मदों के मेपिंग का अभाव
2009-10 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 24 के पैराग्राफ 3.13.1.2 में बताया गया कि आईसीईएस 1.0 में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण

जाँच नहीं है कि क्या कोई आयातित मद सुसंगत अधिसूचना के तहत् छूट के लाभ हेतु पात्र थी। तब मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सीटीएच/सीईटीएच को केवल शर्त रहित अधिसूचनाओं के मामलों में 'अधिसूचना निर्देशिका' में केचर किया गया था।

यह निश्चित करने के लिए कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण प्रारम्भ किया गया है कि आयातित माल का दावा की जाने वाली सीमा शुल्क छूट अधिसूचना के तहत् केवल उपयुक्त छूट लाभों को अनुमत करते हुए आईसीईएस अनुप्रयोग के नवीनतम संस्करण द्वारा सही रूप से निर्धारण किया जा रहा था, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 वर्ष की अवधि के दौरान ओओसी दी गई बीईज़ पर अखिल-भारतीय डाटा का विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण के लिए, अधिसूचना दिनांक 17 मार्च की 521 क्रम संख्याओं में से 422 का सीमा शुल्क टैरिफ लाईन मर्दों का मेप किया गया था जो अधिसूचना के इन क्रम संख्याओं के तहत् कवर किया जाना अभिप्रेत था।

अखिल-भारतीय डाटा का विश्लेषण क्रम सं. जिसके प्रति आयातित टैरिफ मद शुल्क की छूट/रियायत दर के लिए उपयुक्त नहीं थी, के तहत् छूटों का दावा करते हुए छूट लाभ, यदि कोई है, की गलत प्राप्ति के मामलों का पता लगाने के लिए किया गया था। इसको बीई_आइटम_डीईटी, बीई_ए_आइटम-डीईटी और बीई-स्टेट्स तालिकाओं पर एक वर्षीय डाटा पर चलाया जा रहा था। बीसीडी में अनुद्ग्रहणीय या बीसीडी की 'शून्य' टैरिफ दर लगाते हुए अध्यायों/शीर्षकों/टैरिफ मर्दों के तहत् आयातों की इस विश्लेषण के लिए अवहेलना की गई है। डाटा विश्लेषण के परिणामों को अनुबंध में संक्षेप में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सीमा शुल्क छूट अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2012 की विभिन्न क्रम संख्याओं के अन्तर्गत शुल्क छूट के दावों के अन्तर्गत किए गए आयातों के विश्लेषण ने दर्शाया कि या तो सर्वांगीन या शर्त रहित छूटों के लिए अधिसूचना की क्रम संख्याओं के साथ सीटीएच का कोई प्रमाणीकरण या मेपिंग नहीं थे। जिसके परिणामस्वरूप गलत निर्धारण हुआ और ₹ 93.05 करोड़ की राशि के सीमा शुल्क से अस्वीकार्य छूट दी गई।

सीबीईसी ने अपने जवाब में कहा (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) कि छूट अधिसूचनाएं विवरण, क्रम सं. और शर्तों की सूची से अहंताप्राप्त सीटीएचज़् के प्रति बीसीडी दरें लागू करती है। विवरण के साथ-साथ शर्तों की सूची दोनों असंरचित फ़िल्ड हैं, और स्वचालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सही प्राप्ति प्रणाली में तभी वैधीकृत हो सकती थी यदि छूट अधिसूचना को सीटीएच के आधार पर परिभाषित किया जाता। तथापि, चूंकि न तो शर्तें न ही विवरण को परिमाणित/संरचित किया जा सकता, तब सीटीएच और अधिसूचना शुल्क दरों के संबंध में 100 प्रतिशत प्रमाणीकरण करना सम्भव नहीं है। यहां कुछ अधिसूचनाएं हैं जिनको स्वचालित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विवरण आधारित हैं एवं विशिष्ट सीटीएच, या 'सभी सीटीएच' के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसी प्रकार, सामान्य आयातों के लिए सामान्य छूटें, उदाहरणार्थ 'शिप स्टोर्स' को प्रणाली में वैधीकृत नहीं किया जा सकता।

यह सूचना दी गई कि जहां तक सम्भव हो छूट अधिसूचनाओं सहित टैरिफ मर्दों के मेपिंग को पूर्व-बजट कार्य के भाग के रूप में 1 मार्च 2013 से अधिसूचना निर्देशिका में शामिल किया गया है। इन प्रमाणीकरणों से पहले की अवधि से संबंधित है, लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किए गए डाटा इनमें शामिल थे। इसके अलावा, अनुबंध में कुछ प्रविष्टियों की नमूना जांच ने दर्शाया कि जबकि कुछ मामलों में अधिसूचना की गलत संख्या का उपयोग किया गया है, तथापि, शुल्क की दर समान है और यहां कोई राजस्व की हानि हुई प्रतीत नहीं होती।

तथापि, सूचीबद्ध मामलों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय फार्मेशनों को भेजा गया है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अधिसूचना की उपयुक्ता अन्ततः निर्धारण अधिकारी का निर्णय है।

विभिन्न निर्देशिका प्रबंधक स्थल बोर्ड के निर्देशानुसार विभिन्न निर्देशिकाओं की स्थिति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 के लिए डाटा पर सीटीएच के प्रति सीमा शुल्क सामान्य छूट अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क के 521 क्रम संख्या में से 422 के प्रमाणीकरण की जांच की गई

थी और यह पाया गया कि कथित छूट अधिसूचना के क्रम सं. 123 के लिए प्रमाणीकरण सीटीएच के संबंध में शुरू नहीं किए गए थे। इसलिए, सीबीईसी ने दावा किया कि प्रमाणीकण शुरू किया गया है लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसके अलावा, प्रणाली में परिवर्तन लाने वाली सुसंगत रिपोर्ट (टॉ) / अभिलेख (खो) को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। सीबीईसी ने प्रणाली में अभिकल्पित प्रमाणीकरण की सीमा तक पहुंचने के लिए अपनाए गए बैंचमार्क और प्रणाली में समावेशित प्रमाणीकरणों की जांच करने के लिए डीओएस में निगरानी प्रणाली को भी उपलब्ध नहीं कराया।

3.12 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना के साथ टैरिफ मर्दों के मेपिंग का अभाव

पैराग्राफ 3.11 के अनुसार आईसीईएस डाटा का विश्लेषण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2012 के अन्तर्गत सीबीडी के उद्ग्रहण के उद्देश्य हेतु आयातकों का अनुमत छूट की यथार्थता की जांच करने के लिए किया गया था।

इस विश्लेषण से पता चला कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अधिसूचना के तहत अनुमतयोग्य सीबीडी से छूटों का सही रूप से दावा किया गया, आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग में अधिसूचना की क्रम संख्या के साथ सीटीएच का कोई प्रमाणीकरण या मेपिंग नहीं था। इसके परिणामस्वरूप गलत निर्धारण हुआ और आयातकों, जिन्होंने कथित अधिसूचना के अन्तर्गत छूटों के लाभ का गलत दावा किया था, को अनुमत न की जाने वाली ₹ 137.02 करोड़ के सीमा शुल्क की राशि से अस्वीकार्य छूट दी गई। डाटा विश्लेषण के परिणामों को अनुबंध ज में संक्षेप में दिया गया है।

आईसीईएस 1.5 डाटा का फिर से विश्लेषण सीआरए मोड्यूल या बीईज् के प्रत्यक्ष सत्यापन, जिसके लिए ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सीमा शुल्क अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने के लिए मंत्रालय को जारी किए गए थे, के माध्यम से बीईज् की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संदर्भ से प्रणाली में प्रमाणीकरण नियंत्रणों की जांच करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,20,951 मामलों का प्रणाली में

उचित प्रमाणीकरण नियंत्रण के अभाव के कारण प्रणाली द्वारा गलत रूप से निर्धारण किया गया था। वर्ष 2012-13 के लिए आईसीईएस 1.5 आयात डाटा के विश्लेषण के परिणामों के सार का ब्यौरा अनुबंध झ में दिया गया है।

इन गलत निर्धारणों का न तो प्रणाली द्वारा न ही पीसीए में या विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाया जा सका था जो आईसीईएस अनुप्रयोग, आरएमएस और पीसीए में प्रमाणीकरण नियंत्रणों में कमी को दर्शाता है। विभाग इन सभी मामलों की समीक्षा कर सकता है और कम उद्घरण/अनुद्घरण आदि की वसूली कर सकता है।

अपने जवाब में (जनवरी 2014) सीबीईसी ने पैराग्राफ 3.11 में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छूट अधिसूचनाएं विवरण, क्रम सं. और शर्तों की सूची द्वारा योग्यता प्राप्त सीईटीएचजे के प्रति सीबीडी दरों पर लागू होती है। चूंकि शर्तों की सूची और विवरण असंरचित फ़िल्ड है, तब सीईटीएच और अधिसूचना शुल्क दरों के संबंध में 100 प्रतिशत प्रमाणीकरण करना संभव नहीं है। यह सूचना दी गई कि जहां तक सम्भव हो छूट अधिसूचनाओं के साथ टेरिफ मर्दों का मैपिंग बजट पूर्व कार्य के भाग के रूप में विभिन्न सीमा शुल्क स्थलों के अधिकारियों द्वारा 1 मार्च 2013 से अधिसूचना निर्देशिका में किया जा चूका है। लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किया गया डाटा इन प्रमाणीकरणों से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

तथापि, सूचीबद्ध किए गए मामलों को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय फार्मेशनों को भेजा गया है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में (फरवरी 2014) जनवरी 2014 के जवाब को दोहराते हुए कहा कि विभिन्न निर्देशिका प्रबंधन साईटें बोर्ड के निर्देशानुसार विभिन्न निर्देशिकाओं के लिए प्रास्थिति की निगरानी हेतु जवाबदेही हैं।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 के लिए प्रमाणीकरण की जांच की और यह पाया गया कि कथित छूट अधिसूचना की क्रम सं. 326 के लिए प्रमाणीकरण सीटीएच के संबंध में शुरू नहीं किए गए थे। इसलिए, सीबीईसी का दावा कि प्रमाणीकरण शुरू किया गया है। स्वीकार नहीं किया जा सकता इसके अलावा प्रणाली में परिवर्तन करने वाले

सुसंगत रिपोर्ट(टैं) / अभिलेख(ओं) को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। सीबीईसी ने प्रणाली में अभिकल्पित प्रमाणीकरण की सीमा तक पहुँचने के लिए अपनाए गए बैंचमार्क और प्रणाली में समावेशित प्रमाणीकरणों की जांच के लिए डीओएस में निगरानी प्रणाली को भी उपलब्ध नहीं कराया।

3.13 परिकलित शुल्क और संग्रहित किए गए शुल्क में अन्तर

चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क से संबंधित आईसीईएस 1.5 आयात डाटा के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि मै. विस्टन ऑटोमोटिव सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने बीई सं. 3614987 दिनांक 26 मई 2011 के माध्यम से माल का आयात किया जिसको आरएमएस सरलीकरण (मेरिट शुल्क पर) के अन्तर्गत प्रणाली द्वारा निर्धारित किया गया था और देय शुल्क ₹ 33.62 लाख था। तथापि, माल को मंजूरी दी गई और ₹ 33.14 लाख से कम शुल्क के भुगतान पर 2 जून 2011 को ओओसी दी गई थी। डाटा विश्लेषण के निष्कर्षों की पुष्टि आईसीईएस 1.5 अनुप्रयोग के सीआरए मोड्यूल के माध्यम से प्रतिसत्यापन के माध्यम से की गई थी। निर्धारित शुल्क और एकत्रित किए गए शुल्क के बीच अन्तर की भी पुष्टि विभाग द्वारा की गई; तथापि, न तो विभाग द्वारा इस अन्तर के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और न ही प्रणाली इसकी उपलब्धि के लिए कोई लेखापरीक्षा परिक्षण किया गया था।

मामले का विश्लेषण देय शुल्क (बीई-सीएएसएच तालिका में टीओटी-डीयूटीवाई फील्ड) और प्रदत्त शुल्क (बीई-सीएएसएच तालिका में डीयूटीवाई एएमटी फील्ड की मात्रा को तुलना करते हुए और बीई-एसटीएटीयूएस तालिकाओं से संबंधित सूचना द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए अखिल भारतीय आईसीईएस 1.5 डाटा पर भी किया गया था।

विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए क्रमशः 1,057 और 1,729 बीईज के मामलों में परिकलित देय शुल्क और वास्तविक रूप से प्रदत्त शुल्क में अन्तर था। इन बीईज में देय कुल शुल्क ₹ 106.77 करोड़ और ₹ 195.73 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए आयातित माल की मंजूरी पर केवल ₹ 20.87 करोड़ और ₹ 59.07 करोड़

संग्रहीत किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप संबंधित वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए इन बीईज् में ₹ 85.70 करोड़ एवं ₹ 136.66 करोड़ का कम संग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 के लिए 1,057 बीईज् और वर्ष 2012-13 के लिए 1,729 बीईज् में से 162 और 445 बीईज् में परिकलित देय शुल्क संबंधित वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए ₹ 32.29 करोड़ और ₹ 72.68 करोड़ था जिसके प्रति कोई राशि संग्रहित नहीं की गई थी।

सीबीईसी ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए (जनवरी 2014) बताया कि शुल्क का भुगतान स्क्रिप्स के साथ-साथ नकद भुगतान के माध्यम से भी किया जा सकता है और लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए मामले वे थे जहां शुल्क डेबिट स्क्रिप्स के माध्यम से किया गया था।

लेखापरीक्षा ने प्रत्येक मामले में स्क्रिप्स के माध्यम से डेबिट किए गए शुल्क और छोड़े गए शुल्क की समस्त पिक्चर को केप्चर करने के लिए आईसीईएस में मौजूदा प्रक्रिया के ब्यौरे मंगवाए थे जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत संघ प्राप्ति बजट में छोड़े गए शुल्क के विवरण में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि स्क्रिप्स के माध्यम से डेबिट किए गए शुल्क के ब्यौरे बीई_सीएएसएच_एलआईसी तालिका में केप्चर किए गए हैं। आईसीईएस ईडीआई प्रणालियों के माध्यम से आयात के लिए स्थान विशेष के लिए शुल्क छोड़े गए विवरण तैयार कर सकता है। छोड़े गए सीमा शुल्कों की समस्त पिक्चर उपलब्ध कराने के लिए आईसीईएस में कोई उपयोगिता मौजूद नहीं है। संघ प्राप्ति बजट में रिपोर्ट किए गए छोड़े गए शुल्क के विवरण को डाटा प्रबंधन निदेशालय (क्षेत्रीय फार्मशन द्वारा अपलोड किए गए विवरणों से मिलाए गए), फिरती निदेशालय और महानिदेशक निर्यात संवर्धन, से प्राप्त हुए इनपुटों के आधार पर सीबीईसी में टीआरयू द्वारा तैयार किया जाता है।

सीबीईसी के जवाब को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो बीई_सीएएसएच_एलआईसी तालिका के साथ उपलब्ध कराया गया था और न ही स्क्रिप्स के माध्यम से डेबिट किए गए शुल्क के मामला-वार ब्यौरे

की सूचना लेखापरीक्षा को दी गई थी। संग्रहीत किए गए और छोड़े गए कुल राजस्व को सीबीईसी या प्र.सीसीए द्वारा समेकित नहीं किया गया था। सीबीईसी ने स्वीकार किया कि छोड़े समस्त शुल्क को केचर करने के लिए आईसीईएस में कोई उपयोगिता नहीं है।

3.14 आईसीईएस के अन्तर्गत कवर न की गई कारोबार प्रक्रिया को हस्त्य निर्धारणों की आवश्यकता है

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 46 और 50 के अनुसार निर्यात दस्तावेजों (एसबीज़) के साथ-साथ आयात दस्तावेजों (बीईज़) को इलेक्ट्रोनिक रूप से (ईडीआई प्रणाली के माध्यम से) फाईल किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। दुरुपयोग को रोकने के लिए सीबीईसी ने 04 मई 2011 को यह अनुदेश जारी किए कि हस्त्य संसाधन और माल के आयात/निर्यात की मंजूरी केवल अपवादात्मक मामलों में अनुमत होगी और हस्त्य दस्तावेजों के लिए डाटा को निर्धारित समय अवधि के अन्दर सभी स्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से दर्ज और संचालित किया जाना चाहिए।

19 ईडीआई बन्दरगाहों से सीमा शुल्क दस्तावेज फाईलिंग डाटा के वर्षवार सार जिसमें सभी प्रमुख बन्दरगाह, अर्थात जेएनसीएच, एनसीएच मुम्बई, एसीसी नई दिल्ली, आईसीडी तुगलकाबाद, आईसीडी पटपड़गंज, चेन्नई सी, एसीसी चेन्नई, तूतीकोरन, कोची सी, एसीसी अहमदाबाद, कोलकाता सी और कोलकाता एयर शामिल हैं, को अनुबंध जे में दिया गया है।

यह देखा गया कि 3.64 प्रतिशत, 1.87 प्रतिशत और 1.39 प्रतिशत बीईज़ का औसत वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान 19 ईडीआई बन्दरगाहों पर हस्त्य रूप से फाइल किया गया था। इसी प्रकार, 4.35 प्रतिशत, 2.16 प्रतिशत और 2.19 प्रतिशत एसबीज़ को वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान 19 ईडीआई बन्दरगाहों परे हस्त्य रूप से फाइल किया गया था। तथापि, ईडीआई संसाधित सीमा शुल्क दस्तावेजों की संख्या में पिछले तीन वर्षों से घृद्धि हुई है। बीईज़ को हाथ से दर्ज करने की प्रतिशतता तूतीकोरिन, गोवा, नागपुर तथा कोलकाता बन्दरगाह में उच्चतर थी, जो 3.53 प्रतिशत से 6.90 प्रतिशत की रेन्ज में थी। जबकि एसबीज़ को हाथ से दर्ज करने की प्रतिशतता चेन्नै हवाईअड़ा, कोच्ची, गोवा, नागपुर तथा कोलकाता

हवाईअड़ा पर उच्चतर थी जो 4.77 प्रतिशत से 23.76 प्रतिशत तक की रेन्ज में थी, जो सीमाशुल्क अधिनियम, की धारा 46 तथा 50 तथा बोर्ड के अनुदेशों के उल्लंघन में थी। यह भी देखा गया था कि 100 प्रतिशत बीईज का निर्धारण पश्चिम बंगाल (निरोधक) कमिशनरियों में हाथ द्वारा किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जाँच से पता चला कि हाथ से दर्ज बीईज को मुख्यतः विमान/जहाज स्टोर, राजनयिक नौभार, डाक पार्सल, कंटेनरों के घरेलू प्रयोग, पदधारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) योजना के तहत आयात, वे आयात जिनपर एक से अधिक शुल्क छूट अधिसूचनाएं लागू होती हैं, अधिसूचनाओं के प्रति आयात जो आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन द्वारा स्वीकार नहीं किये गए, उस भुगतान हेतु फाइल किये गए बीईज जिन्हें एसएडी रि-क्रेडिटेड शुल्क क्रेडिट स्क्रिट्स जैसे डीईपीबी, एफएमएस, एफपीएस, इत्यादि के प्रयोग द्वारा किया गया है, एटीए कार्नेट के तहत अस्थाई आयात तथा डीईपीबी, ईपीसीजी लाईसेंसो इत्यादि के प्रति आयात जिनके लिए टीआरए हस्तलिखित रूप से जारी किये गए थे, के आयात के लिए फाइल किये जा रहे थे। इन अधिकतर मामलों में आईसीईएस एप्लीकेशन में ऐसे मामलों को हेन्डल करने हेतु प्रावधान की कमी के कारण बीईज हाथ से दर्ज किए गए थे। निर्यात की ओर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 74 के तहत स्वतंत्र अकेले सामान के निर्यात, विमान/जहाज भण्डार तथा विमान टरबाइन इंधन(एटीएफ) की कवरेज हेतु आईसीईएस प्रणाली में प्रावधान की कमी के कारण बीईज हाथ से दर्ज किये गए थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 116 ईडीआई सक्षम स्थानों में से, केवल 89 स्थानों पर आयात दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग की गई थी। जिनमें से 29 स्थानों पर 2012-13 के दौरान 500 बीईज से कम फाइल किये गए थे। इसी प्रकार 99 स्थानों पर निर्यात दस्तावेज फाइल किये गए थे, इसमें से 20 स्थानों पर समान अवधि के दौरान 500 एसबीज से कम फाइल किये गए थे।

सीमाशुल्क प्रक्रिया तथा व्यापार सरलीकरण सभी सीमाशुल्क संव्यवहारों तक आईसीटी आधारित उपाय (आईसीईएस) तथा स्वनिर्धारण को विस्तारित ना किये जाने पर (2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.14 का पैराग्राफ सं. 1.39) लेखापरीक्षा

अभ्युक्ति की प्रतिक्रिया में डीओएस ने बताया (अक्टूबर 2013) कि बहुत थोड़े स्थल हैं जहाँ आईसीईएस को कार्यान्वित नहीं किया गया है, तथापि, उन्हे आरईसीईएस के प्रयोजन के तहत शामिल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि हाथ द्वारा निर्धारित किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रतिशतता वर्षों से कम हो रही है तथा वर्तमान में यह आयात दस्तावेजों के एक प्रतिशत से कम है तथा निर्यात दस्तावेजों के 2.5 प्रतिशत से कम है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में पुनरावृत्ति की कि माड्यूलों के विकास का कार्य व्यवहार्यता तथा राजस्व प्रभाव मांग संतुष्टि, मंत्रालय की अपेक्षा एवं अन्य घटकों पर आधारित प्राथमिकता पर निर्भर है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 में उठाए गए अधिकतर मुद्दे अभी भी समान स्थिति में हैं, यद्यपि विभाग ने 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया था।

3.15 एमओसी के ‘सेजआनलाइन’ पोर्टल के साथ लिंकेज का अभाव

आयातित माल जो एसईजेड में प्रयोग करने के विचार से आयात किया गया है, के लिए सीमाशुल्क बन्दरगाह पर फाइल किये गए आईजीएम के क्लोजर की निगरानी हेतु आईसीईएस 1.5 वाणिज्य मंत्रालय (एमओसी) के ‘सेजऑनलाइन’ पोर्टल के साथ लिंक नहीं हैं, जो एसईजेड की विकास कमिशनरियों द्वारा निर्यात तथा आयात दोनों के आनलाइन निकासी को सरल बनाता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि एसईजेड आनलाइन के साथ डाटा के विनिमय हेतु मोडेलिटीज डीओएस तथा एमओसी के बीच चर्चा के स्तर के अधीन हैं तथा इसकी प्रगति डीओसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर है।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना चाहिए।

3.16 वाहनान्तरण पर छोड़े गए माल की निगरानी हेतु तंत्र का न होना

आईसीईएस 1.5 में वाहनान्तरण पर छोड़े गए माल की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि आईसीईएस 1.5 में, गेटवे सी पोर्ट से इन्लैण्ड कन्टेनर डिपोट (आईसीडीज) तक माल के वाहनान्तरण हेतु माडयूल पिछले कुछ वर्षों से पहले से ही कार्यरत है। सीटूसी वाहनान्तरण माडयूल 7 फरवरी 2014 को प्रारंभ किया गया है। यद्यपि, एप्लीकेशन में अभिगम पथ सीबीईसी द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

इसकी अगली लेखापरीक्षा में जाँच की जाएगी।

3.17 आईसीईसी के साथ एनआईडीबी तथा ईसीडीबी डाटा के एकीकरण का अभाव

आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन के साथ राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी) तथा निर्यात माल डाटाबेस (ईसीडीबी) का कोई प्रत्यक्ष एकीकरण नहीं है। एनआईडीबी तथा ईसीडीबी का निर्धारण विभागीय अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से केवल निम्नलिखित दो तरीकों से किया जा सकता है:

- (i) एसएसओआईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन के पश्चात अधिकारी को सिट्रिक्स होमपेज पर उपलब्ध 'मोजिला फायरफाक्स' वेब-ब्राउजर आईकन पर क्लिक करना होता है। तब अधिकारी को इन्टरनेट पर डीओबी की वेबसाइट www.dov.gov.in पर कनेक्ट करना होता है, और डीओबी द्वारा एनआईडीबी तथा ईसीडीबी डाटा तक अभिगम हेतु दिये गए यूजर आईडी/पासवर्ड के दूसरे समूह का प्रयोग करना होता है।
- (ii) एसएसओआईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन के पश्चात अधिकारी को सिट्रिक्स होमपेज पर उपलब्ध 'मोजिला फायरफाक्स' वेब-ब्राउजर आईकन पर क्लिक करना होता है। फिर अधिकारी को फायर फॉक्स ब्राउजर के एड्रेस बार में लोकल सर्वर के आईपी एड्रेस को टाईप करके लोकल फाईल तथा प्रिंट सर्वर से कनेक्ट करना होता है। यह उसे 'मूल्यकोष' पूछताछ माडयूल पर

ले जाएगा जहाँ मूल्यकोष मूल्यांकन पूछताछ माडयूल में उपलब्ध मूल्यांकन डाटा तक अभिगम हेतु स्थानीय कमिशनरी के प्रणाली प्रबंधक द्वारा जारी किये गए यूजर आईडी पास वर्ड के दूसरे सेट का प्रयोग करना होता है। मूल्यकोष के माध्यम से देखे गए मूल्यांकन डाटा को डीओवी द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि महानिदेशक, मूल्यांकन उनके अपने विक्रेताओं को नियोजित करते हुए अपना निजी माडयूल विकसित कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि हार्डवेयर की खरीद की जानी है तथा माडयूल का प्रोटोटाइप, जैसे ही सर्वर की सुपुर्दग्गी होती है, जॉच हेतु लोड कर दिया जाएगा। माडयूल की शुरुआत के लिए अन्तिम तिथि 31 मार्च 2014 तक पूरा किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना चाहिए।

3.18 आईसीईएस में परियोजना हेतु अनिवार्यता प्रमाणपत्र के प्रति आयात के विवरण केप्चर नहीं किये गए

आईसीईएस में 'एक विशिष्ट परियोजना के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र के प्रति आयात' को केप्चर करने हेतु कोई क्षेत्र नहीं है और इसलिए इसकी पूछताछ नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, बीई की डाटा प्रविष्टि के दौरान प्रत्यक्ष दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किये गए बीजकों की बीजक संख्या प्रणाली में दर्ज नहीं की गई थी।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि बही के रूप में अनिवार्यता प्रमाणपत्र के ब्यौरों को केप्चर करने की आवश्यकता की जाँच की जाएगी।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जाने चाहिए।

3.19 आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन में अनुपस्थित कार्य प्रणालियाँ

3.19.1 निर्यात दायित्वों (ईओ) की निगरानी हेतु लाइसेंस-वार किये गए आयात, छोड़े गए शुल्क तथा किये गए निर्यातों हेतु कोई विकल्प ना होना।

चूंकि डीजीएफटी द्वारा जारी किये गए प्रत्येक शुल्क मुक्त/ छूट शुल्क आयात लाइसेन्स जैसे ईपीसीजी, अग्रिम अधिकार –पत्र, इत्यादि के प्रति किसी निर्यात एवं आयात की स्वीकृति देने से पहले इन्हें आईसीईएस एप्लीकेशन में पंजीकृत कराना होता है, इसलिए देश में (मैन्यूवल बन्दरगाहों को छोड़कर) प्रत्येक सीमाशुल्क स्थान से किये गए निर्यात तथा आयात के संबंध में लाइसेन्स –वार सूचना विभाग के पास आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन डाटाबेस में उपलब्ध है, जिसका शुल्क की निगरानी तथा पता लगाने के साथ –साथ ऐसे लाइसेन्सों के प्रति आयात पर छोड़े गए ईओ की प्रतिपूर्ति में किये गए निर्यात की मात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, लाईसेन्स की निर्धारित ईओ उन्मोचन अवधि के अन्दर अपने ईओ के उन्मोचन में विफल रहने वाले लाइसेंसधारकों को चिन्हित करने के लिए ईओ प्रतिपूर्ति के निगरानी हेतु एप्लीकेशन में किसी माड्यूल/रिपोर्ट के माध्यम से विभाग द्वारा इस सूचना का मिलान एवं प्रयोग नहीं किया गया है।

सिफारिश: डीजीएफटी तथा आईसगेट के मध्य प्रस्तावित निर्यात दायित्व उन्मोचन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) संदेश विनिमय मूर्तरूप नहीं दिया गया है। ईओडीसीज् का हस्त्य प्रेषण तथा उनकी निगरानी पर्याप्त नहीं पाई गई है। तथापि, ईओडीसी से संबंधित राजस्व वसूली प्रक्रियाओं को समय पर प्रारंभ करने के लिए एप्लीकेशन डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का उपयोग ईओडीसी उन्मोचन विफलता रिपोर्ट को सृजित करके किया जा सकता है तथा लाइसेंस धारकों के साथ-साथ डीजीएफटी के अनुसरण कर सकते हैं।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि ईओडीसी की निगरानी का उत्तरदायित्व डीजीएफटी पर है जहाँ तक सीमा शुल्क का संबंध है वहाँ आईसीईएस में लाइसेंस-वार आयात बही बनाई जाती है जहाँ छोड़ा गया शुल्क, मात्रा, मूल्य शेष क्रेडिट इत्यादि उपलब्ध हैं।

सीबीईसी ने आगे बताया कि (फरवरी 2014) सभी कस्टम हाउस में निर्यात दायित्व निगरानी सेल हैं जहाँ पूर्व निर्यात लाइसेंस तथा उनके बॉण्ड की निगरानी की जाती है।

लेखापरीक्षा की राय है कि चूँकि सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में छोड़ा गया शुल्क अनुमत है तथा शुल्क की वसूली तथा चूक के मामले में निर्यातक/आयातक के विरुद्ध कार्यवाही का दायित्व सीबीईसी का है, अतः जब सीबीईसी के पास डाटा उपलब्ध है तब इसे विशेष रूप से एफआरबीएम अधिनियम के तहत आदेशित रिपोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है।

3.19.2 अनन्तिम निर्धारणों को अनन्तिम रूप दिये जाने पर कोई सूचना ना होना

एप्लीकेशन के विकास के पंद्रह वर्षों से अधिक समय के बाद भी एवं सीएजी की {पीए रिपोर्ट 2009-10 की प्रतिवेदन सं. पीए 24 (सीमाशुल्क) के पैराग्राफ 3.16 (iii)} में लेखापरीक्षा में बताए जाने के बाद भी इसके माध्यम से अनन्तिम निर्धारणों को अनन्तिम रूप दिये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014) में बताया कि आईसीईएस में अनन्तिम निर्धारणों को अनन्तिम रूप दिये जाने हेतु माड्यूल का निर्माण एनआईसी द्वारा किया गया है तथा यह जाँच चरण के अधीन है। जाँच की प्रगति तथा प्रयोक्ता की संतुष्टि के आधार पर माड्यूल को अनन्तिम रूप दिया जाएगा।

यद्यपि, मुद्दा 2009-10 में बताया गया था फिर भी विभाग आज तक माड्यूल को प्रारंभ करने में विफल रहा। तथापि, समापन की अनन्तिम तिथि तथा माड्यूल को चालू करने की लक्ष्य तिथि लेखापरीक्षा को सूचित की जानी चाहिए।

3.19.3 कम उद्ग्रहण मामलों में की गई कार्रवाई पर कोई सूचना न होना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 में प्रावधान किया जाता है कि जहाँ किसी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया है, अथवा कम उद्ग्रहण किया है

अथवा गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहाँ किसी देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, कुछ भाग का भुगतान किया गया है, अथवा गलती से प्रतिदाय किया गया है, तो वहाँ उचित अधिकारी संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय में नोटिस जारी कर सकता है, यह कारण बताने के लिए कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि जब कभी भी विभाग द्वारा कम प्रभार नोटिस/कारण बताओं नोटिस अथवा कम उदग्रहीत शुल्क की वसूली के मामले के रूप में कार्रवाई प्रारंभ की गई है, ऐसी कार्यवाही के बारे में कोई सूचना आईसीईएस एप्लीकेशन में उपलब्ध नहीं है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि इडीआई प्रणाली पहले से ही बीई के ओओसी तक जुर्माना तथा शास्ति के संबंधित कॉलमों में उनके विवरणों को केप्चर करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। फाईल संख्या, कारण बताओं नोटिस संख्या तथा अधिनिर्णय आदेश को विवरणों के सन्दर्भ बीई की विभागीय टिप्पणियों में केप्चर किए जाते हैं। तथा आगे बताया (25.02.2014) कि वसूली से संबंधित विवरण उचित प्रक्रिया द्वारा सीबीईसी में सीमाशुल्क-पीएसी शाखा द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे।

सीबीईसी का उत्तर संतोषजनक नहीं है तथा अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान जाँच की जानी चाहिए।

3.19.4 हस्तलिखित चालान के माध्यम से भुगतान किये गए शुल्क को अभिलिखित करने हेतु एप्लीकेशन में प्रावधान ना होना

जहाँ हस्तलिखित चालान के माध्यम से शुल्क डेबिट किया जाता है वहाँ ऐसे भुगतानों के बारे में सूचना प्रणाली में अपलोड नहीं की जाती।

विभाग ने उपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि आईसीईएस में हस्तलिखित डीटीआर माड्यूल में हस्तलिखित बीईज के प्रति किए गए भुगतानों को केप्चर करने हेतु प्रावधान है जो सभी ईडीआई साईटों पर उपलब्ध है।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में इसे सत्यापित किया जा सकता है।

सिफारिश: प्रत्येक आयात/निर्यात निर्धारण अभिलेख से संबंधित डाटा के अद्यतन को अनुमत करने के लिए अनन्तिम निर्धारणों, शुल्क के कम उद्ग्रहण लगाए जाने के मामलों में की गई कार्यवाही एवं हस्तलिखित चालानों के माध्यम से अदा किए गए शुल्क से संबंधित सूचना एप्लीकेशन में उपलब्ध कराई जा सकती है।

3.19.5 अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु कोई सुविधा ना होना

आईसीईएस एप्लीकेशन के माध्यम से ईडीडी के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण इसे अलग से हस्तलिखित रूप में संग्रह करना पड़ता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014 एवं फरवरी 2014) में बताया कि अतिरिक्त शुल्क जमा के लिए आवश्यकता तथा दृश्यलेख हेतु विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है जिसमें इसके कार्यकलाप को स्वचालित करने की आवश्यकता का पता लगाना, इसके औपचारिक प्रक्रिया प्रवाह के साथ साथ माड्यूल के विकास की प्राथमिकता सम्मिलित है।

सीबीईसी का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए सुसंगत नहीं है। इस संबंध में सीबीईसी द्वारा प्रारंभ की गई कार्रवाई को विस्तार से नहीं बताया गया।

3.19.6 ईडीआई डाटा की गुणवत्ता

डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता ने एक लेखापरीक्षा प्रश्न की प्रतिक्रिया में सूचित किया (जुलाई 2013) कि डीजीसीआईएण्डएस द्वारा 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों से संबंधित निर्यात के ईडीआई अभिलेखों में 7 से 10 प्रतिशत तथा आयातों के मामले में ईडीआई अभिलेखों के लगभग 4 प्रतिशत में आईटीसी (एचएस) सुधार किये गए थे। समान अवधि के निर्यात तथा आयात डाटा दोनों पर 40 प्रतिशत से अधिक ईडीआई अभिलेखों में भारी मात्रा में सुधार किये गए थे जबकि मूल्य तथा देश कोड सुधार कुछ मामलों में किये गए थे।

डीजीसीआईएण्डएस द्वारा ईडीआई डाटा में बताया गया अनौचित्य प्रमाणीकरण की कमी का सूचक है जो गलत उदघोषणाओं के लिए गुंजाई छोड़ता है जो

साथ में देश की व्यापार सांख्यिकी की गुणवत्ता तथा निर्धारणों को प्रभावित कर सकता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि सभी डाटा क्षेत्रों पर प्रमाणीकरण को बढ़ाने से अस्वीकृतियों में वृद्धि होगी तथा व्यापार सरलीकरण तथा यथोचित डाटा विश्लेषण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डाटा के प्रमाणीकरण तथा संव्यवहार लागतों के मध्य एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। तथापि, दिनांक फरवरी 2014 के अपने उत्तर में सीबीईसी ने स्वीकार किया था कि क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 55 प्रतिशत एसबीज तथा बीईज् मानक यूक्यूसी के स्थान पर यूक्यूसी में फाइल किए गए हैं। अतः विभाग द्वारा मानक यूक्यूसी के संबंध में पूर्णतया प्रमाणीकरण को लागू करने पर विचार किया गया है, क्योंकि इसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्वाध प्रवाह में बाधा डालने की गंभीर संभावना हो सकती है। यह पुनरावृत्ति की गई कि विभाग के प्रयासों को राजस्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्वाध प्रवाह के मध्य सुसंतुलन में विघ्न डाले बिना व्यापार डाटा के मानकीकरण की ओर तीव्र किया गया है।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, उत्तर से यह लगता है कि बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्वाध प्रवाह की ओट में यथोचित यूक्यूसीज फाइल करने के लिए व्यापार को बढ़ाने के बजाए प्रणाली में प्रमाणीकरण को लागू ना करने के लिए एक सरल तरीका अपना लिया है। तथापि, नौभार निकासी का समय से विश्लेषण करने, माप योग्य सूचकों के अनुसार व्यापार सरलीकरण पर प्रभाव, बचाई गई संव्यवहार लागत इत्यादि हेतु किए गए किसी अध्ययन पर कोई अभिलेख/रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग का उत्तर राजस्व सुरक्षा की बजाए अस्वीकरणों को रोकने पर जोर देने वाला प्रतीत होता है।